प0 सं0–14 / डी0एल0ए0 (पावरग्रिड)–किशनगंज–02 / 2013–...230..... / रा0, पटना–15, दिनांक–25/01../ 2013

बिहार सरकार,
राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग,
भू–अर्जन प्रशाखा,

(अधिसूचना)

पत्रांक............................../आर0, पटना, दिनांक.........................

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन अंचल अन्तर्गत मौजा –वारमसिया, थाना नं0 –59 के अंचल –कोचाधामन, जिला – किशनगंज में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार के उपक्रम) के सबस्टेशन परिसर के लिए सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इस लिए अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा –वारमसिया, थाना नं0 –59 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश रकवा 4.43 एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :–

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा (एकड़ में)
11	224(P)	0.07
19	234(P)	0.56
35	235(P)	0.82
22	269(P)	2.98
	कुल ::	4.43

चौहद्दी :– उत्तर :– खेसरा संख्या–269 अंश, 224 अंश, 234 अंश, 235 अंश
दक्षिण :– पक्की सड़क
पूरब :– खेसरा संख्या–236,237,269 अंश
पश्चिम :– सीमा मौजा–कुट्टी

यह अधिसूचना बिहार भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (समय–समय पर संशोधित) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन उन सभी रैयतों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो। भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यालय में कार्यालय दिवस को देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी,किशनगंज और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरंभिक तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 2 में यथा उपबंधित विर्निदिष्ट अपने कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए तथा अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि परियोजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नही होंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0–
सरकार के अवर सचिव,

समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक...............230/रा0....../भू–अर्जन,पटना, दिनांक....25–01–13

प्रतिलिपि :: निदेशक,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,बिहार,पटना को अधिसूचना की तीन प्रतियाँ सहित (दो दैनिक समाचार पत्रों,जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो) प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: उप समाहर्त्ता प्रभारी,जिला गजट,किशनगंज को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एंव प्रकाशित जिला गजट की दस–दस (10–10) प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: समाहर्त्ता, किशनगंज / जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। 24/1/13

प्रतिलिपि आयुक्त, पुर्णियाँ प्रमंडल, पुर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।